280

संख्याः 105/XX-8/14–4(18)2012

प्रेषक

विक्रम सिंह यादव
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन

सेवा में

पुलिस महानिदेशक
पुलिस मुख्यालय, देहरादून

गृह अनुभाग–8 देहरादूनः दिनांकः– 23 जुलाई, 2014

विषयः–पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के थाना बलुआकोट में श्रेणी–।। के 04 आवासों का निर्माण कार्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पुलिस मुख्यालय के पत्र संख्याः डीजी–दो–40–2011(3) दिनांक 25 मार्च, 2014 के कम में शासनादेश संख्या 2802/XX(1)/12–04(18)2012 दिनांक 25 फरवरी 2013 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत उक्त निर्माण कार्य हेतु प्रथम चरण हेतु कुल रूपये 1.01 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई। तत्कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2011–12 में, पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना के तहत अनुमोदित कार्य, जनपद पिथौरागढ़ के थाना बलुआकोट में श्रेणी–।। के 04 आवासों का निर्माण के लिये कार्यदायी संस्था उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़ से सिविल कार्यों हेतु प्राप्त रूपये 39.01 लाख के आगणन का तकनीकी परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण धनराशि कुल ₹ 39.52 लाख(सिविल कार्यों हेतु ₹ 38.53 लाख तथा अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार कराये जाने वाले कार्यों हेतु ₹0.99 लाख) पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये उक्त निर्माण कार्य कराये जाने के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014–15 में कुल इतनी ही अर्थात् **₹ 39.52 लाख (रूपये उनचालीस लाख बावन हजार मात्र)** की धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– कार्यदायी संस्थान द्वारा आगणन में प्राविधानित धनराशि रूपये 0.99 लाख(रूपये निन्यानब्बे हजार मात्र) के कार्यो हेतु "उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2008" के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

3– कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शेड्यूल ऑफ रेट्स में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता/सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करना आवश्यक होगा।

4– कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

कमशः....2

5– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

6– एक मुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।

7– कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुये एवं लो.नि.वि. द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुये निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

8– कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता(कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्य स्थल का भली–भांति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाय तथा निरीक्षण के पश्चात् दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाय।

9– निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।

10– यदि विभिन्न मदों हेतु स्वीकृत धनराशि अवशेष रहती है तो उक्त धनराशि द्वितीय चरण के आगणन में समायोजित की जाय।

11– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV–219(2006) दिनांक 30 मई 2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

12– आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

13– निर्माण कार्य तथा इस हेतु सामग्री क्रय में Uttarakhand Procurement Rules. 2008 के सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाय तथा वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर निर्माण इकाई से M.O.U. निष्पादित किया जाय जिसकी प्रति शासन को भी उपलब्ध करायी जाय।

14– निर्माण कार्य के प्रगति की निरन्तर समीक्षा करते हुये कार्य में शीघ्रता लायी जाय तथा विलम्ब के कारण किसी भी दशा में आगणन पुनरीक्षित नही किया जायेगा।

15– स्वीकृत धनराशि का व्यय मितव्ययता को दृष्टिगत् रखते हुये किया जाय तथा व्यय उन्हीं मदों में किया जाय जिस मद के लिये स्वीकृति प्रदान की गयी है।

16– निर्माण कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता के लिये सम्बन्धित निर्माण संस्था उत्तरदायी होगी। कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल एवं तद्विषयक समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

क्रमशः......3

17– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–10, **आयोजनागत पक्ष** के अन्तर्गत मुख्य लेखाशीर्षक 4055–पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय, 800–अन्य व्यय, 01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्रीय पुरोनिधानित योजनायें, 0101–पुलिस बल का आधुनिकीकरण के मानक मद 24–वृहद् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

18– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः–31/P/XXVII(5)/2014-15 दिनांक 22 जुलाई, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से तथा अलॉटमेंट आई.डी. संख्याः S:1407/00117 दिनांक 23-7-2014 जुलाई, 2014 द्वारा जारी किये जा रहें है।

संलग्नकः–यथोपरि

भवदीय

(विक्रम सिंह यादव)
उप सचिव

<u>**संख्या एवं दिनांक तदैव।**</u>

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं तद्नुसार अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग माजरा, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, हरिद्वार, उत्तराखण्ड।
3. निदेशक, कोषागार, 25 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/हरिद्वार, उत्तराखण्ड।
5. बजट अधिकारी, बजट निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र(एन.आई.सी.) सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, जनपद पिथौरागढ़, उत्तराखण्ड।
8. वित्त अनुभाग–5, उत्तराखण्ड शासन।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(मुकेश कुमार रॉय)
अनु सचिव

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20142015

Secretary, Home (S019)

आवंटन पत्र संख्या - **105(2)/xx-8/14-4(18)2012**

अनुदान संख्या - 010

अलोटमेंट आई डी - S1407100117

आवंटन पत्र दिनांक -23-Jul-2014

HOD Name - Director General Police (2533)

1: लेखा शीर्षक 4055 - पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय

00 -

800 - अन्य व्यय

01 - केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र पुरोनिधानित योजनाएं

01 - पुलिस का आधुनिकीकरण (50% के0स0)

Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
24 - वृहत निर्माण कार्य	0	3952000	3952000
	0	**3952000**	**3952000**

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 3952000